# मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-2

## संक्षिप्त कार्य विवरण

### पत्रक भाग-एक

**मंगलवार, दिनांक 27 नवम्बर, 2007 (अग्रहायण 6, 1929)**

**विधान सभा पूर्वाह्न 10.31 बजे समवेत हुई.**

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

## 1. प्रश्नोत्तर

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रश्न संख्या 1 पर चर्चा के लिये माननीय सदस्य का नाम पुकारा गया, किन्तु सम्पूर्ण विपक्ष के माननीय सदस्यगण द्वारा आरोपात्मक टिप्पणियां एवं नारेबाजी की गई उनके द्वारा खिलौना डम्पर" भी दिखाये गये। इसके कारण प्रश्न नही पूछे जा सके। अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रश्नकाल चलने दने की अपील की गई.

(व्यवधान होने के कारण 10.33 बजे सदन की कार्यवाही 15 मिनिट के लिये स्थगित की गई)

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्यों से आह्वान किया कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण है, सदन की कार्यवाही चलने दें किन्तु विपक्ष के माननीय सदस्यगण द्वारा पुनः नारेबाजी, व्यवधान तथा शोरगुल किया गया. इस कारण 10.46 बजे सदन की कार्यवाही 11.30 बजे तक के लिये स्थगित की गई.

**अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.**

## 2. स्थगन प्रस्ताव

माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उप चुनाव के दौरान शपथ में गलत जानकारी दिए जाने संबंधी सर्वश्री आरिफ अकील, सज्जन सिंह वर्मा, डॉ. सुनीलम्, डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री हुकुम सिंह कराड़ा तथा वीरेन्द्र रघुवंशी, सदस्यगण द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं में से श्री आरिफ अकील, सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रथम सूचना को अध्यक्ष महोदय द्वारा पढ़ा गया तथा उनका नाम चर्चा के लिये पुकारा गया।

(सम्पूर्ण विपक्ष के सदस्यगण द्वारा गर्भगृह में आकर नारेबाजी की गई तथा "खिलोना डम्पर" का प्रदर्शन किया गया। इस कारण सदन में व्यवधान एवं शोरगुल का वातावरण बना)

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि चूंकि विपक्ष के सदस्यगण स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं करना चाहते है अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

## 3. नियम 267 क के अधीन विषय

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल के बड़े तालाब में सिंघाड़े की खेती करने से पेयजल प्रदूषित होने,

(2) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य की रीवा जिलान्तर्गत मउगंज के विकास खण्ड में नलकूपों से जनता को सुविधा न मिल पाने,

(3) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य की विकास खण्ड पहाड़गढ़ (मुरैना) में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रारम्भ किये जाने,

(4) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य की मुरैना सुमावली में विद्युत लाईन के साथ खम्बों के तार चोरी होने,

(5) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य की मंदसौर जिले में किसानों के मीटर खोलकर फ्लैट रेट से विद्युत बिलों की गणना करने,

(6) श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य की सतना जिले के रामनगर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक्स-रे मशीन खराब होने,

(7) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य की कटनी जिले की नगर निगम सीमा अंतर्गत भूमिगत जल स्त्रोत का भू-माफियों द्वारा आवासीय उपयोग किये जाने,

(8) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रौन में चिकित्सकों की कमी होने,

(9) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य की रीवा एवं सीधी जिले में रोजगार गारंटी योजना की राशि का उपयोग न किये जाने तथा

(10) श्री मनमोहन शाह बट्टी, सदस्य की छिन्दवाड़ा जिले में विद्युत पोल गाड़े जाने के उपरांत तारों के न खींचे जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

## 4. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 26 नवम्बर, 2007 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयकों तथा अन्य कार्यों पर चर्चा हेतु उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है -

| क्र. | नाम विधेयक/अन्य कार्य | निर्धारित समय |
|---|---|---|
| (1) | मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन विधेयक) 2007 | 1 घन्टा |
| (2) | भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2007 | 1 घन्टा |
| (3) | मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 | 1 घन्टा |
| (4) | वर्ष 2007-2008 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान, पुरःस्थापन, विचार एवं पारण. | 2 घण्टे |

| | | |
|---|---|---|
| (5) | प्रदेश में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से केरोसिन व खाद्य सामग्री न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री सत्यदेव कटारे तथा डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की नियम 139 के अधीन सूचना. | 1 घन्टा 30 मिनट |

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

अध्यक्ष महोदय ने शासकीय विधेयकों एवं अन्य कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृत देता है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

## 5. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री अंतर सिंह आर्य, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2007 (क्रमांक 6 सन् 2007) पटल पर रखा।

## 6. जुलाई-अगस्त, 2007 सत्र निर्धारित अवधि से पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने जुलाई-अगस्त, 2007 सत्र निर्धारित अवधि से पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

## 7. नियम 267-क के अधीन जुलाई-अगस्त, 2007 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने नियम 267-क के अधीन जुलाई-अगस्त, 2007 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

## 8. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा के विगत सत्र में पारित निम्नलिखित विधेयकों को महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है। अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं। इन विधेयकों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे :-

(1) मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 3) विधेयक, 2007 (क्रमांक 17 सन् 2007) - (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 2007)

(2) मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 28 सन् 2007) - (अधिनियम क्रमांक 20 सन् 2007)

(3) मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन तथा शुल्क का निर्धारण) विधेयक, 2007 (क्रमांक 16 सन् 2007) - (अधिनियम क्रमांक 21 सन् 2007)

(4) मध्यप्रदेश उपकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 21 सन् 2007) - (अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2007)

(5) न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 19 सन् 2007) - (अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2007)

(6) मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल विधेयक, 2007 (क्रमांक 20 सन् 2007) - (अधिनियम क्रमांक 24 सन् 2007)

(7) मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2007 (क्रमांक 23 सन् 2007) - (अधिनियम क्रमांक 25 सन् 2007)

## 9. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि आज की कार्यसूची में अंकित निम्नलिखित ध्यानाकर्षण की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी जाएंगी तथा उनके उत्तर शासन द्वारा दिए हुए माने जायेंगे :-

**(1)** श्री कृष्ण कुमार सिंह (भंवर साहब), सदस्य की वन विभाग द्वारा निजी भूमि को वन भूमि मानकर सीमांकन किये जाने संबंधी सूचना तथा

(2) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की उज्जैन जिले में सड़कों की जर्जर हालत होने संबंधी सूचना

## 10. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम-9 के उप नियम (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया :-

(1) श्रीमती सुधा जैन

(2) श्री लाल सिंह आर्य

(3) श्री ज्ञान सिंह

(4) श्री इन्द्रजीत कुमार

(5) श्री सत्यदेव कटारे

(6) श्री कृष्ण कुमार सिंह (भंवर साहब)

## 11. वर्ष 2007-2008 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री राघव जी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2007-2008 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा द्वितीय अनुपूरक अनुमान पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 28 नवम्बर, 2007 को 2 घण्टे का समय नियत किया है।

## 12. जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंधन मंडल हेतु सदस्यों का निर्वाचन

श्री गोपाल भार्गव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

"यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें, जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 25 की उपधारा (1) के पद (नौ) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल के लिये राज्य विधान सभा के सदस्यों में से तीन सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों. "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

## 13. प्राक्कलन समिति के लिये दो सदस्यों का निर्वाचन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 223 के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2007-2008 की शेष अवधि के लिये प्राक्कलन समिति में रिक्त दो स्थानों की पूर्ति के लिये अपने मे से 2 सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

## 14. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के लिये एक सदस्य का निर्वाचन

कुंवर विजय शाह, आदिम जाति कल्याण मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 234-क के उपनियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से वर्ष 2007-2008 की शेष अवधि के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति में रिक्त एक स्थान की पूर्ति के लिये अपने में से 1 सदस्य (जो अनुसूचित जनजाति वर्ग से हो) के निर्वाचन के लिये अग्रसर हो."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

## 15. जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मंडल, प्राक्कलन एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समितियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये निर्वाचन का कार्यक्रम

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई कि जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रबंध मंडल, प्राक्कलन एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समितियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया :-

(1) नाम-निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में गुरुवार, दिनांक 29 नवम्बर, 2007 को अपराह्न 2.00 बजे तक दिए जा सकते हैं।

(2) नाम-निर्देशन पत्रों की जांच, शुक्रवार, दिनांक 30 नवम्बर, 2007 को अपराह्न 2.00 बजे से होगी।

(3) उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना मंगलवार, दिनांक 4 दिसम्बर, 2007 को अपराह्न 3.00 बजे तक इस सचिवालय में दी जा सकती है।

(4) निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान, बुधवार, दिनांक 5 दिसम्बर, 2007 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक होगा।

(5) निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वार किया जायेगा।

उपर्युक्त निर्वाचन हेतु अभ्यार्थियों के नाम प्रस्तावित करने एवं उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।

## 16. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की सूचना पर चर्चा

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदेश में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से केरोसिन व खाद्य सामग्री न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए श्री सत्यदेव कटारे तथा डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य के नाम पुकारे गये किन्तु सदन में व्यवधान होने के कारण उनके द्वारा चर्चा प्रारम्भ नही की गई।

सदन में नारेबाजी, व्यवधान एवं शोरगुल का वातावरण होने से 11.43 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 28 नवम्बर, 2007 (अग्रहायण 7, 1929) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

**डॉ. ए.के.पयासी**
**प्रमुख सचिव,**
**मध्यप्रदेश विधान सभा.**